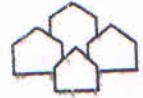




कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९ प्रथम तल
वृन्दावन योजना, लखनऊ



संख्या : 241

/स०प्र०-वृन्दावन/

दिनांक 03-1-2013

सेवा में,

मे० राम चन्दर बिल्डर्स प्रा०लि०,
2B/GH-3, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड़, लखनऊ।

विषय: परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-14/GH-12, आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की नीलामी दिनांक 31.10.2012 में सम्मिलित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-14/GH-12, हेतु आपकी उच्चतम बोली रु० 22,786.00 प्रति वर्ग मीटर को आवास आयुक्त (म०) द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने की सूचना अपर आवास आयुक्त(लखनऊ जोन) के पत्र संख्या-1948/ ल०जो०/88 द्वितीय भाग दिनांक 28.12.2012 द्वारा प्रेषित की गयी है।

अतः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-14/GH-12, का प्रदेशन-पत्र आपके पक्ष में अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है :-

(1)	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-14/GH-12, का क्षेत्रफल	3180.00 वर्गमी०
(क)	स्वीकृत उच्चतम बिड़	रु० 22,786.00 प्र०व०मी०
(ख)	भूखण्ड का कुल मूल्य (फ्री-होल्ड शुल्क सहित)	रु० 7,24,59,480.00
(ग)	टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि	रु० 45,42,000.00
(घ)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20% धनराशि जो दिनांक 31.03.2013 तक देय है (जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है)	रु० 99,49,896.00
(ङ)	प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 30.06.2013 तक देय है।	रु० 72,45,948.00
(च)	प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 30.09.2013 तक देय है	रु० 72,45,948.00
(छ)	प्रदेशन-पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 31.12.2013 तक देय है।	रु० 72,45,948.00
(ज)	स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 15% ब्याज सहित 72 मासिक किश्तें दिनांक 01.01.2014 से देय होगी।	रु० 3,62,29,740.00
(1)	प्रत्येक मासिक किश्त की धनराशि	रु० 7,66,259.00
(2)	मासिक किश्तों की संख्या-72	
(3)	मासिक किश्त प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक से देय होगी।	
(4)	जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा।	

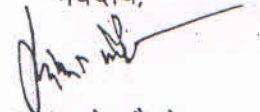
कमशः 2 पर

- (5) विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क, नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को कराना होगा।
- (6) प्रदेशन ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार अन्य कटौतियाँ करते हुये निरस्त किया जायेगा।
- (7) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशन ग्रहीता पर लागू होंगे। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा।
- (8) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।

नोट:-

- (1) आवंटि द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।
- (2) ₹0 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
- (3) अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर जो शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय है।
- (4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 50% जमा करने के पश्चात् रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् हस्तगत किया जा सकेगा।
- (5) अनुबन्ध/विकय विलेख हेतु ₹0 300.00 ₹0 50.00 फ्री-होल्ड पुस्तिका हेतु व ₹0 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञापन व्यय हेतु ₹0 1,81,149.00 पंजाब नेशनल बैंक, वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता संख्या-CA-21432 में दिनांक 31.12.2013 तक जमा करने का कष्ट करें।
- (6) कब्जा हेतु दिनांक 31.12.2013 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार दिनांक 01.01.2014 से ₹0 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
- (7) मासिक किश्तो की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता संख्या CA-2147 में जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (8) किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 17% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।
- (9) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (10) टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद खातों में समाशोधित होने पर यह आवंटन विधिमान्य होगा।

भवदीय,



(आर0के0गौड)

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त